ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00006

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 115/1998

(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

Harbans Singh son of Sodagar Singh by caste Mazabi sikh, resident of chak No. 5-G(Small), Tahsil & Distt. Ganganagar.

Applicant.

Versus

1. Amarsingh son of Santasingh by caste Mazbisikh, resident of chak No.7a (Chhoti), Tahsil Ganganagar.
2. Gurcharan singh son of Amarsingh by caste Mazbisikh, resident of chak No.7a (Chhoti), Tahsil Ganganagar.

Non-Applicants.

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं

आदेश **दिनांक : 27.10.2020**

Objection against allotment of land made on 15-12-1977 by the A.C. in the name of non-applicant v/s 11/14 colonisation Act.

(1) That an allotment of 17 bighas land of sq. no. 8 situated in chak no.5(a) Chhoti was made on 15-12-1977 by A.C. Sri Ganganagar, out of which 10 Bighas in the name of non-applicant No.2 the son of non-applicant No.1.

(2) That this allotment is unjustified on the following reasons:-

I. That non-applicant No.1 --- living jointly in one family.

II. That non applicant No.2 is unmarried and supervised by his father, karta of the joint faimly.

III. That non-applicant No.2 is not an agriculturist. He is the medical practitioner and running a shop of medicines in the village.

(3) That the said allotment has not been made on the principles and equity and natural justice. Allotment in the names of two members of the same family is bad and condemnable.

(4) That there were a number of applications from the harijans of chak No.13-Z, Chak No.2 M.L., Chak No. 5g chhoti etc. before the alloting authority who ignored all these applications and favoured only one family's applications.

(5) That applicant requested the authority to allot seven bighas land in his name instead in the name of the non-applicant No.2 whose father non-applicant No.1 was being allotted the ten bighas of land on the same day at the same occasion, but unfortunately, the request of the applicant was discarded.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(6) That the applicant's and non-applicants's residence are at equal distance from chak No.6(a) chhoti, land.

(7) That applicant is a landless agriculturist and deserves allotment. Allotment if made on the basis of partiality and inequity, what would be the fate of poors and the policy of Government that has aimed at streamline settlement of Harizans and other backwards.

Prayed that this illegal allotment of seven Bighas of land may be cancelled and allotted in my name forthwith to nip irregular allotment in the land i.e. before the issurance of Sanad etc.

पत्रावली का संधारण दिनांक 23.12.1978 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 4.4.1991 उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को विस्तृत जांच कर अपना प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख सहित अन्तिम आदेशार्थ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु किया। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आदेशिका दिनांक 22.12.1997 में अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीगंगानगर कमांक 1586 दिनांक 15.07.1991 अप्रार्थी संख्या 1 श्री अमरसिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति मजबी को 7.00 बीघा भूमि चक 5 ए छोटी मुरब्बा नं.8 किला नम्बर 1 ता 7 कुल 7.00 बीघा आवंटन हुई। उसके पुत्र के नाम कोई भूमि आवंटन होना नहीं पाया जाता है। आवंटी के नाम खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है तथा आवंटी फौत होने पर उसके पुत्र भूमि पर काबिज है। इस प्रकार प्रार्थी की शिकायत सारहीन है। प्रकरण धारा 11/14 राज0 कोलोनाईजेशन एक्ट के अन्तर्गत जेरकार है जिसके अधिकार श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.02.1998 पत्रावली न्यायालय में प्राप्त होने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 22. 12.1997 को प्राप्त होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांकः:–टी.आर.ए./ /1586 दिनांक 15.07.1991 में अंकित किया कि चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 7 कुल 7.00 बीघा नहरी भूमि अमर सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति मजबी को पुख्ता आवंटन हुई थी जिसकी सनद खातेदारी प्राप्त होने पर ईन्तकाल संख्या 51 खातेदारी अमरसिंह पुत्र संतासिंह के नाम दिनांक 21.04.1989 को स्वीकृत हो चुका है। अब अमरसिंह खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। अब इस भूमि पर उसके लड़के गुरवचन सिंह व गुरचरण सिंह अंकित है। मु0न0 8 के किला नम्बर 8 ता 17 कुल 10.00 बीघा के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह रकबा राज आ रहा है। किला नम्बर 17 में पीने के पानी की सार्वजनिक डिग्गी बनी हुई है। उपरोक्त 10.00 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत आबादी विस्तार , पशु चिकित्सालय, वाटर वर्क्स आदि सार्वजनिक उपयोग के लिए लेना चाहती है जिसका मौका 6.09.1990 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय देख चुके है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पास विचाराधीन बताये गये है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता का मुख्य कथन है कि मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 1 ता 17 में से किला नम्बर 1 ता 7 अप्रार्थी संख्या 1 को व किला नम्बर 8 ता 17 अप्रार्थी संख्या 02 जो कि एक ही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

परिवार के सदस्य है को आवंटन होना बताया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट कमांकः:—टी.आर.ए./ /1586 दिनांक 15.07.1991 में अंकित किया कि चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 7 कुल 7.00 बीघा नहरी भूमि अमर सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति मजबी को पुख्ता आवंटन हुई थी जिसकी सनद खातेदारी प्राप्त होने पर ईन्तकाल संख्या 51 खातेदारी अमरसिंह पुत्र संतासिंह के नाम दिनांक 21.04.1989 को स्वीकृत हो चुका है। अब अमरसिंह खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। अब इस भूमि पर उसके लड़के गुरवचन सिंह व गुरचरण सिंह अंकित है। मु0न0 8 के किला नम्बर 8 ता 17 कुल 10.00 बीघा रकबा राज चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी , श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.12.1997 में भी शिकायत को सारहीन होना माना है। अतः शिकायत खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 1 ता 17 में से किला नम्बर 1 ता 7 अप्रार्थी संख्या 1 को व किला नम्बर 8 ता 17 अप्रार्थी संख्या 02 जो कि एक ही परिवार के सदस्य है को आवंटन होना बताया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट कमांकः:—टी.आर.ए./ /1586 दिनांक 15.07.1991 में अंकित किया कि चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 7 कुल 7.00 बीघा नहरी भूमि अमर सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति मजबी को पुख्ता आवंटन हुई थी जिसकी सनद खातेदारी प्राप्त होने पर ईन्तकाल संख्या 51 खातेदारी अमरसिंह पुत्र संतासिंह के नाम दिनांक 21.04.1989 को स्वीकृत हो चुका है। अब अमरसिंह खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। अब इस भूमि पर उसके लड़के गुरवचन सिंह व गुरचरण सिंह अंकित है। मु0न0 8 के किला नम्बर 8 ता 17 कुल 10.00 बीघा रकबा राज है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 8 ता 17 कुल 10.00 पर ग्राम पंचायत आबादी विस्तार , पशु चिकित्सालय, वाटर वर्क्स आदि सार्वजनिक उपयोग के लिए लेना चाहती है जिसका मौका 6.09.1990 को उपखण्ड अधिकारी देख चुके है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के पास विचाराधीन होना बताया है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन प्रतीत होती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से एवं रेस्जूडिकेटा के प्रावधान लागू होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner